बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 144821 पटना, दिनांक 09/04/2013

ग्रा.वि.-07(आवं)-12/2012

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय:- **एस0जी0आर0वाई0 / काम के बदले अनाज योजना के तहत डीलरों के पास उपलब्ध खाद्यानों के संबंध में ।**

प्रसंग:- 1. श्री राजेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0-1
2. श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0-4

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दो चरणों में लागू की गयी थी । प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 से 23 जिलों में तथा शेष 15 जिलों में 1 अप्रैल 2007 से एस0जी0आर0वाई0 / काम के बदले अनाज योजना को मनरेगा योजना में समाहित करते हुए योजना प्रारंभ की गयी थी ।

विदित हो कि संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-24011/46/2005-NFFWP/NREGA दिनांक 27.12.2005 सह पठित विभागीय ज्ञापांक ग्रा0वि0 8 (विविध)-40/2004-265 दिनांक 09.01.2006 तथा ग्रा0वि0(थ0)-43/2007-7619 दिनांक 13.08.2007 से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि यदि किसी कारण से आपके जिले में एस0जी0आर0वाई0 अन्तर्गत लिये गये कार्य अपूर्ण रह गए हों तो उसे दिनांक 31.08.2007 तक अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाय । दिनांक 31.08.2007 तक एस0जी0आर0वाई0 / काम के बदले अनाज योजना के अवशेष राशि को निश्चित रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिला स्तर पर संचालित खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाय । दिनांक 31.08.2007 के बाद एस0जी0आर0वाई0 / काम के बदले अनाज योजनाओं पर यदि कोई व्यय किया जाता है तो उसकी भरपाई दोषी व्यक्ति के संसाधन से की जायगी ।

योजना बंद होने के उपरान्त भी जन वितरण प्रणाली के डीलरों के पास बचे खाद्यान्नों की राशि वसूली नहीं की जा सकी है ।

उक्त संबंध में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-13676/2009 में दिनांक 04.11.2012 को (छायाप्रति संलग्न) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की कंडिका-प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि:-

1. योजना बंद होने के उपरान्त डीलरों के पास उपलब्ध अनाज को गोदाम में वापस करने अथवा उसके मूल्य के समतुल्य राशि वापस करने हेतु यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी हो तो उसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी के विरूद्ध दोष निर्धारण कर विधि-सम्मत् कार्रवाई की जाय ।
2. यदि जन-वितरण प्रणाली के डीलरों के पास उपलब्ध अनाज के भंडारण का सत्यापन नहीं कराया गया हो तो उसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय ।

अतः अनुरोध है कि विषयगत् मामले की गहन छानबीन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से यथाशीघ्र विभाग को अवगत कराया जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा ।

Pr-108